विनियम क्रमांक 15

शुल्क मुक्ति नियमावली

विश्वविद्यालयीन शिक्षण विभागों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा की शुल्क मुक्ति नियमावली-

शीर्षक- यह नियमावली अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालयीन शिक्षण विभागों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शुल्क मुक्ति नियमावली कहलायेगी ।

1. यह नियमावली विश्वविद्यालय सत्र 1980.81 से लागू होगी ।

2. अ- अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे । इसके लिये प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार या अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

ब- मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में भी छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान की जायेगी।

3. स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों की सन्तान शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेगी । यह सुविधा 675/- रूपया प्रतिमाह सब मिलाकर वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सन्तानों के लिये भी उपलब्ध होगी। इस आशय का विभागाध्यक्ष व्दारा दिया गया प्रमाणपत्र प्रवेशपत्र के साथ देना अनिवार्य होगा।

4. दो या दो से अधिक भाई बहिन यदि विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं तो ज्येष्ठ भाई

बहन को पूरा शुल्क देना होगा और अन्य को आधा।

5. इन सुविधाओं के अतिरिक्त निर्धन एवं योग्य छात्रों को पूर्ण अथवा अर्ध्द शुल्क मुक्ति विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित संख्या तक दी जा सकती है। वर्तमान में यह संख्या छात्रों की संख्या का 10 प्रतिशत पूर्ण शुल्क 20 प्रतिशत अर्ध्द शुल्क मुक्ति तक सीमित है।

6. उपर वर्णित कंडिका 2 की परिस्थितियों को छोड़कर अन्य कोई भी छात्र छात्रा जिसके माता पिता की कुल मासिक आय 500/- रू0 से अधिक न हो, उन्हें शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता होगी। आय प्रमाण पत्र किसी भी राज्य अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. शुल्क मुक्ति हेतु आवेदनपत्र निर्धारित प्रपत्र में अन्य संलग्नों के साथ विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव के कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि हर सत्र 30 सितम्बर

होगी।

8. विद्यार्थियों के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा।

;अद्ध विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण विभागों के अध्यक्ष

;बद्ध कुलसचिव समिति के संयोजक होंगे।

9. समिति की अनुशंसा पर कुलपति व्दारा प्रकरण में गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

10. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । किन्तु विशेष परिस्थितियों में जो कि आवेदन के नियंत्रण के बाहर कुलपति व्दारा उचित समाधान के पश्चात् तिथि पर वृध्दि की जा सकेगी।